कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1372 / FP/UK/Others/33644/2018 देहरादूनः दिनांकः 03 दिसम्बर, 2019

सेवा में,
सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में (कुथनूर–यमुनत्री–मुगरशांती–नौगांव–रन्वाई) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 507ए (मरोड–दोबाटा बैण्ड) बडकोट 59 कि0मी0 –110 कि0मी, एन0एच0 134 (ओल्ड एन0एच0 94) दोबाटा बैण्ड (बडकोट)–जानकी चट्टी (यमुनोत्री) 55 किमी0–101 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 97 कि0मी0 एवं 0.97 हे0, में मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.97 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/Others/33644/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.97** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी के पत्रांक 1647/12–1 दिनांक 01–01–2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथी से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / **FP/UK/Others/33644/2018** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
7. प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्लाट नं0–32, आई0टी0 पार्क, शहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–उत्तरकाशी में (कुथनूर–यमुनत्री–मुगरशांती–नौगांव–रन्वाई) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 507ए (मरोड–दोबाटा बैण्ड) बडकोट 59 कि0मी0 –110 कि0मी, एन0एच0 134 (ओल्ड एन0एच0 94) दोबाटा बैण्ड (बडकोट)–जानकी चट्टी (यमुनोत्री) 55 किमी0–101 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 97 कि0मी0 एवं 0.97 हे0, में मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.97 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/Others/33644/2018)

जनपद–उत्तरकाशी में (कुथनूर–यमुनत्री–मुगरशांती–नौगांव–रन्वाई) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07ए (मरोड–दोबाटा बैण्ड) बडकोट 59 कि0मी0 –110 कि0मी, एन0एच0 134 (ओल्ड एन0एच0 94) (बडकोट)–जानकी चट्टी (यमुनोत्री) 55 किमी0–101 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 97 कि0मी0 एवं 0.97 हे0, में मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.97 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **0.3441** हे0 आरक्षित वन भूमि एवं **0.1272** हे0 राजस्व वन भूमि अर्थात कुल 0.4713 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–उत्तरकाशी/प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः APCCF & NODAL OFFICER (FC) UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 03/12/2019

स्थान : देहरादून